सवोच्च प्राथमिकता/तत्काल

पत्रांक— स0नि0—सामान्य—बजट आवंटन/2017—18/456/वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश,
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: सितम्बर, 08 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषयः— आवासीय अनुरक्षण कार्य संबंधी समेकित एवं सुविचारित आगणन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।

वाणिज्य कर विभाग के विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017—18 में रू0 2 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है और उक्त धनराशि का बजट भी उपलब्ध कराया गया है। कतिपय जोनों से आवासीय अनुरक्षण संबंधी प्राप्त आगणन प्रस्ताव का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया और यह पाया गया कि जो आगणन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, वह अपूर्ण, अविचारित एवं प्राइवेट ठेकेदारों के है।

कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उक्त पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है और इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि कार्यदायी संस्थाओं/न्यूनतम बिडिंग/टेण्डर नोटिस के माध्यम से समेकित व सुविचारित आगणन प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किया जाए।

अतः उपर्युक्त निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जोन के अन्तर्गत जिन स्थानों पर आवासीय अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है, के संबंध में कार्यदायी संस्थाओं से न्यूनतम **बिडिंग/टेण्डर नोटिस** के माध्यम से अद्यतन दरों पर समेकित, सुविचारित एव सुसंगत आगणन प्रस्ताव, अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अनिवार्यतः पत्र प्राप्ति के 05 दिनों के अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

08/9/17

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दि0उक्त

प्रतिलिपिः— संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/डिप्टी कमिश्नर(प्रभारी) नजारत, वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि तत्काल कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।